पंजीकृत/अपंजीकृत गौशालाओं के व्यवस्थापक/प्रतिनिधियों तथा प्रगतिशील गोपालकों को एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट

प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से पंजीकृत गौशालाओं के व्यवस्थापकों/प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील गोपालकों को एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम विभिन्न जिलों की आदर्श गौशालाओं में आयोजित किया जाता है। इसके अन्तर्गत आदर्श गौशाला में की जाने वाली गतिविधियों से साक्षात्कार कराते हुये प्रशिक्षण दिया जाता है।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2014—15	1,72,300/—	715	406
2.	2015—16	2,36,500/—	950	923
3.	2016—17	2,36,500/—	950	—

कार्य योजना एवं महत्व :—

1. एक्सपोजर विजिट का कार्यक्रम एक दिवसीय होता है।
2. पंजीकृत एवं अपंजीकृत गौशालाओं के व्यवस्थापक/प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील गोपालकों को एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग की अनुशंषा पर दिलवाया जाता है।
3. लक्ष्यों के विपरीत कम प्रशिक्षणार्थी आने की स्थिति में अन्य जिलों से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।
4. एक्सपोजर विजिट में गौ आवास, प्रबन्धन, प्रजनन, नस्ल सुधार, संतुलित पशुआहार, वर्मी कम्पोस्ट, नेडेप कम्पोस्ट, बायोगैस, जैविक खेती, रिकॉर्ड संधारण, दुग्ध अभिलेखन, तथा प्रदेश की प्रख्यात देशी गौ नस्लों के बारे में सैद्धान्तिक जानकारी कराने के बाद गौशालाओं में किये जा रहे कार्यों के संदर्भ में प्रायोगिक जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है।
5. एक्सपोजर विजिट पर होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित एक्सपोजर विजिट कार्यकारी संस्था को निदेशालय गोपालन द्वारा हस्तानान्तरित कर सम्पादित किया जाता है।
6. एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम में निदेशालय गोपालन के वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में किया जाता है।